भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1215
शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

रोजगार संकट

1215. श्री अरूण सावः
श्री निशीथ प्रामाणिकः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण रोजगार के संकट को देखते हुए युवाओं और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र सहित अपने गृह राज्यों को वापस आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या जरूरतमंद लोगों को उपरोक्त कार्यक्रमों के तहत रोजगार मिल रहा है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कोरोना वायरस (कोविड-19) के वैश्विक फैलाव और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। कोविड-19 के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार अपने मूल निवास स्थानों पर वापस गए हैं। सरकार ने स्थानीय स्तरों पर रोजगार सृजित करने हेतु पहल की हैं तथा सरकार प्रवासी कामगारों, की जिसमें पश्चिम बंगाल का कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र शामिल है, को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई), आत्मनिर्भर भारत एवं प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) के माध्यम से सहायता कर रही है। आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, व्यवस्था, उत्साहवर्धक जनसांख्यिकी एवं मांग पर आधारित है जिससे युवाओं हेतु रोजगार सृजित करने के लिए हो। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में रोजगार अवसरों के सृजन को सुकर बनाने हेतु 20 लाख करोड़ रु. का आर्थिक पैकेज शामिल है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, भारत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% हिस्से और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान कर रही है, 100 कर्मचारियों तक वाले समस्त प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% का अंशदान सरकार कर रही है।

नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का सांविधिक पीएफ अंशदान ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए तीन माह के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। अभियान में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का विकास करने एवं गांवों में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं प्रदान कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रम को घर के निकट कार्य करने में सहायता करने के लिए उनकी कौशल मैपिंग की जा रही है। इस अभियान में 125 दिनों में एक मिशन मोड अभियान में लागू करने के लिए 50,000 करोड़ रुपये के संसाधन आवृत से 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का सघन एवं सकेंद्रित कार्यान्वयन शामिल है।

*उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 08.09.2020 की स्थिति के अनुसार 22761 करोड़ रुपए व्यय के साथ कुल सृजित रोजगार (दिनों में) 26,34,23,281 दिवस है।

सरकार ने अवसंरचना लॉजिस्टिक, क्षमता निर्माण, कृषि, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों हेतु शासन एवं प्रशासनिक सुधारों को सुदृढ़ करने के लिए भी कदम उठाएं हैं। इसमें किसानों के लिए फार्म-गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना निधि; सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना; प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये; राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम; 15,000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना; 4,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ हर्बल खेती को बढ़ावा देना; 500 करोड़ रुपए की मधुमक्खी पालन पहल; कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधार के उपाय; किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन; किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार; कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन शामिल है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को धारणीय बनाने के लिए अर्थव्यवस्था में तरलता डालने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रारंभ किए हैं:

(i) सावधिक ऋणों/नकद क्रेडिट/ओवर-ड्राफ्ट की किस्तों के पुनर्भुगतान पर 31 अगस्त, 2020 तक ऋण स्थगन।

(ii) मुद्रा शिशु ऋण लेने वालों, जिनका ऋण 50,000 रु. से कम है, को 12 माह की अवधि हेतु तत्काल आदाताओं हेतु 2% का ब्याज अनुदान प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ रु. की योजना।

(iii) नगद जमा अनुपात एवं रेपो दर में कमी।

(iv) उधार देने/पुनः वित्तपोषण करने के लिए एसआईडीबीआई को 15,000 करोड़ रु. की विशेष पुनः वित्तपोषण सुविधा।

(v) गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कम्पनियों (एचएफसी) तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (एनएफआई) हेतु 30,000 करोड़ रु. की विशेष तरलता योजना।

(vi) मानक लेखों एवं दबित लेखों (विशेष उल्लेख लेखा-0 एवं विशेष उल्लेख लेखा-1) हेतु 3 लाख करोड़ रु. की आपात क्रेडिट गारंटी।

(vii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बाँड अथवा ए ए एवं उससे नीचे की रेटिंग के साथ वाणिज्यिक पत्रों के क्रय हेतु 20% प्रथम हानि को पोर्टफोलियों गारंटी हेतु 45,000 करोड़ रु. की आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना-2.0।

(viii) 200 करोड़ रु. तक के अधिप्रापण हेतु वैश्विक टेंडर पर प्रतिबंध।

(ix) एमएसएमई क्षेत्र में 20,000 करोड़ रु. डालने के लिए एसएमए-2 एवं एनपीए खातों हेतु अधीनस्थ ऋण के लिए उधार गारंटी योजना।

(x) रेहड़ी पटरी लगाने वाले व्यक्तियों हेतु क्रेड़िट गारंटी योजना (प्रधान मंत्री स्व-निधि) जिसमें ब्याज राज-सहायता भी शामिल है।

(xi) एनबीएफसी एवं एमएफआई आदि के दायित्वों हेतु आंशिक उधार गारंटी योजना।

****